

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय जयपुर



Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Dept. of Water Resources,  
RD&GR

Central Water Commission  
Monitoring & Appraisal Dte.,Jaipur

प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, के.ज.आ., जयपुर -302023

फोन: 0141-2944007, ई-मेल: dirmajaipur-cwc@nic.in

### **नीलामी सूचना AUCTION NOTICE**

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर में निष्प्रयोज्य सामान (T&P) के निस्तारण हेतु नीलामी दिनांक 31-08-2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर में 'जहाँ है, जैसा है', कि स्थिति पर और नीचे दिये गये नियमों और शर्तों के अनुसार होगी। निष्प्रयोज्य सामान निदेशालय में सभी कार्य दिवसों पर दिनांक 17-08-2021 से दिनांक 30-08-2021 तक 10:00 से 17:00 तक देखा जा सकता है।

नीलामी का स्थान: प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय,

केन्द्रीय जल आयोग,

कमरा संख्या: 107, ब्लॉक-A, केन्द्रीय सदन

विद्याधर नगर सेक्टर.-10, जयपुर-302023

On behalf of the President of India, the unserviceable T&P Articles of the office of Monitoring & Appraisal Dte., Central Water Commission, Jaipur, as given in the enclosed Annexure will be sold in Public Auction on "As is where is basis" on 31.08.2021 at 11.00 Hrs. as per terms and condition mentioned below. The materials will be kept open for inspection on all working days from 17.08.2021 to 30.08.2021

between 10:00 Hrs. to 17:00 Hrs.

Place of Auction: Office of the Monitoring & Appraisal Dte.,

Central Water Commission,

Room No. 107, Block-A, Kendriya sadan

Vidyadhar Nagar Sector-10, Jaipur- 302023

नियम और शर्तें/TERMS & CONDITIONS:

1	सामान 'जहाँ है, जैसा है' की स्थिति पर बेचा जाएगा तथा सामान की सूची संलग्न है, The items will be sold on "as is where basis is" and the list of the articles as enclosed herewith.
2	अधोहस्ताक्षरी को सभी वस्तुओं को एक या एक से अधिक बार में खत्म करने के लिए एकमात्र स्वतंत्रता है। The undersigned will be at sole liberty to dispose off all the items in one lot or more than one lot.
3	सर्वाधिक बोली लगाने वाले को 03 दिनों के भीतर अपनी बोली की सम्पूर्ण राशि को मांग पत्र (Demand Draft) जो कि अधिशासी अभियंता, चम्बल मण्डल, जयपुर को देय हो, कार्यालय में जमा करनी होगी The Highest bidder will have to submit the complete bidding amount in the form of Demand Draft in favour of "The Executive Engineer, Chambal Division, Jaipur Within 03 days.
4	सर्वाधिक बोली लगाने वाले को बोली राशि जमा कराने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को सूचना के साथ 03 दिनों के भीतर स्वयं के खर्चे पर निष्प्रयोज्य सामानों को हटाना होगा। निष्प्रयोज्य सामानों की सुरक्षा/निगरानी के लिए विभाग या कार्यालय जिम्मेदारी नहीं होगा। After submission of bidding amount in DD, the highest bidder shall remove the unserviceable T&P articles at his own cost within 03 days with intimation to undersigned, failing which the department will not be responsible for the safety/custody of items.

5	यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा Demand Draft जमा कराने के 03 दिन के भीतर पूरा सामान को नहीं हटाता है तो रु0 50/- प्रति दिन का जुर्माना वसूल किया जायेगा।
	If the highest bidder did not remove the unserviceable articles within 03 days after submission of the Demand draft, Rs. 50/- per day penalty will be levied on that bidder.
6	यदि उच्चतम बोलीदाता स्वीकृत बोली राशि को जमा करने में विफल रहता है, तो अधोहस्ताक्षरी को किसी अन्य दिन फिर से नीमाली करने के लिए एकमात्र स्वतंत्रता होगी।
	In case the highest bidder fails to deposit the accepted bid amount, the undersigned will be at sole liberty to conduct re-auction on any other day.
7	अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताए किसी भी या सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
	Undersigned reserves the right to cancel any or all the bids process without assigning any reasons thereof.
8	नीलामी की प्रक्रिया में केन्द्रीय जल आयोग के किस भी कर्मचारी/उसके निकट नजदीकी को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी
	Any of the CWC staff or his close known person is not allowed to participate in the Auction process.
9	बोलीदाता के पास AADHAR/PAN/TIN/Service Tax Number/GST No. होना आवश्यक हैं जिसकी प्रति बोली लगाने से पूर्व बोली के दिन इस कार्यालय में जमा करना होगा।
	The Bidder must have AADHAR/PAN/TIN/Service Tax Number/GST No and one copy of the same have to submit before start the bidding on the day of Auction to this office.
10	किसी भी विवाद के मामले में, उप निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय , केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
	In case of any dispute, the decision of The Deputy Director, Monitoring & Appraisal Dte. Central Water Commission, Jaipur will be final and binding on both the parties.

उप निदेशक / Deputy Director  
प्रबोधन एवं मूल्यांकन  
निदेशालय, जयपुर/ M&A, Dte.,  
Jaipur

प्रतिलिपि/ Copy to:-

1. अधिशासी अभियंता, चंबल मण्डल, के.ज.आ., जयपुर। (कृपया इस नीलामी सूचना को eprocure.gov.in एवं के. ज. आ. की वेबसाइट पर अपलोड करें)।
2. सहायक लेखाधिकारी, चंबल मण्डल, के.ज.आ., जयपुर।
3. सूचनापट्ट, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर।

**Annexure****List of Unserviceable T&P items**

<b>S.N.</b>	<b>Description of Articles</b>	<b>Number or Quantity</b>
1.	Heat convector	01
2.	Steel Side Rack (36"x30"x18")	01
3.	Mini executive revolving chair	02
4.	Steel Side Rack (78"x36"x18)	05
5.	Steel Tubular Chair	04
6.	Steel Side rack Wooden Top	01
7.	Visitor Chair	04
8.	Desert Cooler	01
9.	Wall Clock	01
10.	Umbrella	01

उप निदेशक  
(प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय)